

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14()2018 / एफसीए / प्रमुवसं /

148

दिनांकः 13.1,2020

शासन सचिव वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

विषय:— राष्ट्रीय राजमार्ग 68 के किमी 109.74 से 113.445 के मध्य वायुयान के उतरने के लिये सड़क को चौड़ा करने हेतु 6.5976 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रेषित करने बाबत्। (प्रस्ताव संख्या—FP/RJ/ROAD/32363/2018)

सन्दर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/राज/06/24/2006/एफसी/357 दि. 16.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र के साथ संलग्न क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में लिए गये निर्णय के अनुसार बिन्दुवार वांछित सूचनाएं जो कि मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर ने उनके पत्रांक 134 दि. 09.01.2020 से इस कार्यालय में प्रेषित सूचना के

अनुसार निम्नानुसार प्रेषित है:-

01.3 (11	भनुसार निम्नानुसार प्राषत हः—		
क्र. सं.	आक्षेप	अनुपालना	
1	CD of kml files	As per direction CD of kml file of proposed land is enclosed herewith in 2 copies.	
2	SOI Toposheet of proposed CA	Survey of India Toposheet of proposed CA land is enclosed in online proposal at required place and also in hard copy earlier.	
3	NOC of concerned Department like NHAI	In the present case of the applicant is NHAI itself, further NOC from Air force authorities and Ministry of Road transport and highway has been enclosed in proposal.	
4	Approval letter of competent authority/sanction letter of the project.	Authority/Sanction letter of Ministry of Raod transport and highway has been enclosed in poroposal.	
5	Total number of trees in the area and total number of trees proposed to be felled.	A total of 1419 trees have been identified by forest department and proposed to be felled. List submitted in From-A Part-2 at prescribed place.	
6	The approval letter of the existing road along with a biref history about its existence is required to clarify if clearance for diversion of forest land under FCA was sought earlier or not.	Current proposal and details are submitted in online proposal at prescribed place.	

7	diversion) CA should be proposed on equivalent NFL	
8	CA scheme has to be revised as per FCA guidelines to include 1000 plants per ha.	CA scheme has been prepart according to FCA guidelines to include 1000 plants per ha. (700 plants by seed sowing)

उपरोक्तानुसार प्राप्त बिन्दुवार जबाब 2 प्रति में (मय संलग्नकों) संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि एक प्रति (मय संलग्नकों) मूल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) लखनऊ को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः - उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज) अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14()2018 / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांक: प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

- 1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
- 2. उप वन संरक्षक, बाड़मेर।
- 3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बाड़मेर।

(पी. सी. कुमावत) तरक्षक (एफ्.सी. अरण्य भवन, जयपुर उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

Notin stice . .